राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर
जी–3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी–स्कीम, जयपुर।
TELEX : 0141-2993119 EMAIL ID : MSRGY@RAJASTHAN.GOV.IN WEBSITE:WWW.MSRGY.RAJASTHAN.GOV.IN

क्रमांकःएफ56(क)(21514)CE/DLB/MSRGY/2025/ 11481-791 दिनांकः– 10/07/2025

आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी,
नगर निगम / परिषद् / पालिका,
समस्त राजस्थान।

विषयः–हरियालो राजस्थान अभियान 2025–26 अन्तर्गत नगरीय निकाय क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्यों हेतु स्थानीय जनप्रतिनिधियों, जनसेवकों एवं नागरिकों की सहभागिता के संबंध में।

संदर्भः–विभागीय पत्रांक 5197–5505 दिनांक 17.04.2025 एवं वन विभाग का परिपत्र क्रमांक 10(18)वन / 2024 / राजकाज 08061 दिनांक 02.01.2025 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित विभागीय पत्र द्वारा "हरियालो राजस्थान" अभियान 2025–26 अन्तर्गत वृक्षारोपण हेतु समस्त नगर निगम / परिषद / पालिका को आवंटित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु जारी दिशा–निर्देशों के क्रम में लेख है कि निकाय स्तर पर वृक्षारोपण कार्यों अंतर्गत स्थानीय जनप्रतिनिधियों, जनसेवकों एवं नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित करावें, जिससे अभियान के प्रति आमजन को जागरूक किया जा सके तथा व्यापक स्तर पर जनभागीदारी के माध्यम से वृक्षारोपण अभियान को सफल बनाया जा सके।

(नवीन यादव)
उपनिदेशक (प्रशासन)

क्रमांकःएफ56(क)(21514)CE/DLB/MSRGY/2025/ 11792-845 दिनांकः– 10/07/2025
प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, समस्त राजस्थान।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. मुख्य अभियंता, निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
8. सुरक्षित पत्रावली।

उपनिदेशक (प्रशासन)

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी–3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी–स्कीम, जयपुर।

TELEX : 0141-2993119 EMAIL ID:- MSRGY@RAJASTHAN.GOV.IN WEBSITE :- www.msrgy.rajasthan.gov.in

क्रमांक:एफ56(क)(21514)CE/DLB/MSRGY/2025/5197-5505 दिनांक 17.04.2025

आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी,
नगर निगम/परिषद्/पालिका,
समस्त राजस्थान।

विषय:–हरियालो राजस्थान अंतर्गत वृक्षारोपण अभियान हेतु वर्ष 2024–25 में कराये गये कार्यों की प्रगति सूचना तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु कराये जाने वाले वृक्षारोपण एवं "सघन वन क्षेत्र (Dense Plantation)" की तैयारियों के सम्बन्ध में।

प्रसंग:–1. गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में वृक्षारोपण हेतु निदेशालय का पत्रांक 13026–13299 दिनांक 08.08.2024, 10271–10545 दिनांक 12.07.2024, 9815–10089 दिनांक 04.07.2024, 9097–9371 दिनांक 03.07.2024, 8169–8450 दिनांक 18.06.2024, 7528–7534 दिनांक 10.06.2024, 7117–7391 दिनांक 29.05.2024, 5629–5868 दिनांक 22.05.2024, 14032–14365 दिनांक 23.08.2024 के क्रम में।

2. वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025–26 में हरियालो राजस्थान अंतर्गत वृक्षारोपण हेतु निदेशालय का पत्रांक 17312–584 दिनांक 17.10.2024 के क्रम में।

सन्दर्भ:–1. विशिष्ट शासन सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, राजस्थान का बैठक सूचना क्रमांक पीएस/SSF&E/2025 दिनांक 04 मार्च, 2025 के क्रम में।

2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख), राजस्थान, जयपुर का कार्यालय आदेश क्रमांक एफ()2024–25/हरियाला` राजस्थान/विकास/प्रमुख सं/18803 दिनांक 05.03.2025 के क्रम में।

3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन विभाग क्रमांक राजकाज 08061दिनांक 02/01/2025 के क्रम में।

4. अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन विभाग, राजस्थान का अर्द्धशासकीय पत्रांक प.10(18)वन/2024–08061 दिनांक 09.04.2025 के कम में।

5. अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, राजस्थान का पत्रांक एफ()2024–25/हरियालो राजस्थान/विकास/प्रमुखस/ दिनांक 01.04.2025

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों के क्रम में लेख है कि राज्य सरकार के महत्वाकांक्षी वृक्षारोपण अभियान "हरियालो राजस्थान" के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में विभाग द्वारा नगरीय निकायों से प्राप्त सूचनानुसार 51.67 लाख पौधारोपण किया गया है। उक्त संदर्भित बैठक में दिये गये निर्देशानुसार निकायों द्वारा भारत सरकार की "मेरी लाईफ पोर्टल (merilife.nic.in)" पर वृक्षारोपण कार्यों की वांछित सूचना अपलोड किया जाना है तथा गत वर्ष किए गए पौधारोपण की Survival, निगरानी एवं मूल्यांकन की रिपोर्ट चाही गई है। इस क्रम में निदेशालय को संलग्न प्रपत्र–1 में गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में कराये गये वृक्षारोपण कार्य की सूचना दिनांक 30.04.2025 तक भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें, जिससे राज्य सरकार को सूचना से अवगत करवाया जा सके। निकायों से आज दिनांक तक गूगल ड्राईव से प्राप्त सूचना सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न कर पत्र के साथ प्रेषित की जा रही है।

इसके अतिरिक्त संलग्न प्रपत्र–2 में लगाये गये पौधों में जीवित पौधों से संबंधित सूचना भरकर निदेशालय को दिनांक 30.04.2025 तक आवश्यक रूप से भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु विभाग द्वारा जारी प्रासंगिक पत्रांक 17312–584 दिनांक 17.10.2024 में लक्ष्यों का निर्धारण कर पौधारोपण हेतु प्रस्ताव वन विभाग को भिजवाये जाने के निर्देश दिये गये थे, जिससे वन विभाग द्वारा समय पर पौधे उपलब्ध करवाये जा सके। नगरीय निकायों से प्राप्त सूचना अनुसार नगरीय निकायों द्वारा कुल 25.75 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य का निर्धारण किया गया, जो कि अभियान की भावना के अनुरूप नहीं है। इस क्रम में निर्देशित किया जाता है कि निम्न वर्णित सूची अनुसार विभाग द्वारा नगरीय निकायों को वृक्षारोपण लक्ष्य का निर्धारण किया गया है%&

वित्तीय वर्ष 2025–26 में आवंटित वृक्षारोपण लक्ष्य				
क्र. सं.	नगरीय निकाय	नगरीय निकायों की संख्या	प्रत्येक निकाय को आवंटित वृक्षारोपण लक्ष्य	कुल लक्ष्य
1	नगर निगम (पुराने)	10	2,00,000	20,00,000
	नगर निगम (नवीन)	03	1,00,000	3,00,000
2	नगर परिषद्	50	50,000	25,00,000
3	नगर पालिका	246	7,500	18,45,000
	योग	**309**		**66,45,000**

उक्तानुसार नगरीय निकायों में कार्य स्थलों का निर्धारण करने की तैयारी प्रारंभ करते हुए 24.04.2025 तक वन विभाग को पत्र प्रेषित कर पौधों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित की जावे एवं संलग्न प्रपत्र–3 में सूचना निदेशालय को दिनांक 30.04.2025 तक उपलब्ध करावें।

उक्त आवंटित लक्ष्यों के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि समस्त नगरीय निकाय वृक्षारोपण एवं शहरी वन क्षेत्र स्थापित करने हेतु टाईमलाईन निर्धारित कर संचालित विभागीय योजनाओं अथवा स्वयं के संसाधनों से कार्ययोजना बनाकर वृक्षारोपण का कार्य संपादित करवाया जाना सुनिश्चित करावें तथा पूर्व मे जारी विभागीय आदेशानुसार शहरी क्षेत्र में कार्यरत अन्य विभाग/एजेंसी यथा वन विभाग, नगरीय विकास विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं आवासन मण्डल के माध्यम से भी वृक्षारोपण के कार्य करावें।

"सघन वन क्षेत्र" (Dense Plantation) स्थापित करने के लिए सघन वृक्षारोपण हेतु आवश्यक कार्यवाही बाबत वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर, प्राप्त सुझाव अनुसार कम जल उपयोग वाले स्थानीय प्रजाति के पौधे लगाते हुए **कम से कम 70 प्रतिशत पौधे सघन वन क्षेत्र** में लगाया जाना सुनिश्चित करें।

वृक्षारोपण एवं "सघन वन क्षेत्र" स्थापित करने हेतु निम्नलिखित टाईमलाईन अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करावें:–

क्र.सं.	गतिविधि	प्रस्तावित टाईमलाईन
1	स्थल चयन कर तकमीना तैयार करने का कार्य (कार्य स्थल तैयार करने, पौधारोपण हेतु भूमि तैयार करने एवं गड्ढे खोदने का कार्य, कम्पोस्ट/जैविक खाद डालने का कार्य, आवश्यकतानुसार वन विभाग से पौधे क्रय करने, पौधों का सुरक्षित परिवहन करने, पौधे लगाने एवं 03 वर्ष तक रख–रखाव का कार्य जैसे पौधों में पानी देने एवं अन्य सामग्री क्रय करना, घास एवं खरपतवार की निराई–गुड़ाई, खाद एवं कीटनाशक का प्रयोग एवं पौधे की सुरक्षा का प्रावधान सम्मिलित करते हुए)	30 अप्रैल, 2025 तक
2	सक्षम स्तर से कार्य/कार्यों का अनुमोदन	10 मई, 2025 तक
3	पौधारोपण हेतु कार्यस्थल की सफाई, मिट्टी की खुदाई आदि आवश्यक कार्य, वन विभाग से आवश्यकतानुसार पौधारोपण हेतु पौधे क्रय किया जाने का कार्य तथा बाड़ वायरफेन्सिंग आदि के द्वारा सघन वृक्षारोपण क्षेत्र को सुरक्षित करना।	15 मई, 2025 से प्रारंभ कर 30 जून, 2025 तक
4	पौधारोपण का कार्य प्रारंभ किया जाना एवं 03 वर्ष हेतु लगाये गये पौधों का रख–रखाव एवं सुरक्षा का कार्य	01 जुलाई, 2025 से प्रारंभ

हरियालो राजस्थान अंतर्गत वृक्षारोपण एवं शहरी वन क्षेत्र स्थापित किये जाने हेतु संलग्न निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार समस्त नगरीय निकाय निर्धारित टाईमलाईन अनुसार कार्यवाही करते हुए स्वयं के संसाधनों एवं विभागीय योजनाओं (मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना (श्रम मद मात्र), स्वच्छ भारत मिशन (शहरी), NCAP एवं अन्य) से कन्वर्जेंस कर कार्ययोजना तैयार कर वृक्षारोपण का कार्य संपादित करवाया जाना सुनिश्चित करावें। उक्त लक्ष्य पौधारोपण कार्यों के है तथा इसमें पौधों का वितरण कार्य सम्मिलित नहीं किया जाना है।

वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर, प्राप्त सुझाव अनुसार सघन वृक्षारोपण "मियावाकी पद्धति" के उदाहरण अनुरूप स्थानीय प्रजाति के पौधे उपयोग कर शहरी वन क्षेत्र स्थापित किये जाने की कार्यवाही हेतु शहरी सीमा में स्थित वेस्टलेण्ड अथवा अनुपयोगी भूमि को प्राथमिकता से चिन्हित करते हुए पौधों की सुरक्षा के प्रावधान (वायर फेंसिंग) प्रस्ताव में सम्मिलित किये जावे। साथ ही पौधारोपण हेतु पार्क/उद्यान, मोक्षधाम, कब्रिस्तान, FSTP's, STP's, Landfill Sites, MRF Centres, Processing Plant, Legacy Waste Site, तालाब की पाल पर, नदी के बहाव क्षेत्र को छोड़कर इत्यादि ऐसे स्थलों का चयन किया जावे, जहां पौधों की सुरक्षा हेतु अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता नहीं हो।

उक्त कार्यों के प्रस्तावों में कार्य स्थल तैयार करने, पौधारोपण हेतु भूमि तैयार करने एवं गड्ढे खोदने का कार्य, कम्पोस्ट/जैविक खाद डालने का कार्य, आवश्यकतानुसार वन विभाग से ही पौधे क्रय करने, पौधों का सुरक्षित परिवहन करने, पौधे लगाने एवं 03 वर्ष तक रख-रखाव का कार्य जैसे पौधों में पानी देने एवं अन्य सामग्री क्रय करना, घास एवं खरपतवार की निराई-गुड़ाई, खाद एवं कीटनाशक का प्रयोग एवं पौधों की सुरक्षा का प्रावधान सम्मिलित किये जावे। स्थानीय प्रजाति के कम जल खपत वाले पौधे जैसे- खेजड़ी, पारस, पीपल, आकाश-नीम, कनेर, गूलर, बरगद, नीम, पीपल, शीशम, सेमल, कचनार, सहजना, कदम्ब, लेसुवा, बोगेनवेलिया, शहतूत देशी, महुआ, बेरी, चांदनी, करंज इत्यादि उत्तम गुणवत्ता के पौधों का चयन कर वन विभाग से प्राप्त करें।

उक्त के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि विभाग द्वारा जारी टाईमलाईन एवं निर्धारित लक्ष्य अनुसार वृक्षारोपण एवं शहरी वन क्षेत्र स्थापित करने का कार्य संपादित करवाया जाना सुनिश्चित करावें। उपरोक्त वृक्षारोपण कार्यों की सतत मॉनिटरिंग हेतु जिला स्तर के नोडल नगर निगम/परिषद् में पदस्थापित अधिशाषी अभियंता, सहायक अभियंता (पर्यावरण) एवं उद्यानविज्ञ (जहां पदस्थापित हो) द्वारा नियमित रूप से जिले की समस्त नगरीय निकायों में उक्त कार्यों का निरीक्षण तथा पौधों की देखरेख कार्य की प्रगति की जिला स्तर पर समीक्षा सुनिश्चित करें। निकाय स्तर एवं जिला नोडल नगरीय निकाय (नगर निगम/नगर परिषद्) हरियालो राजस्थान के संबंध में संलग्न प्रपत्र-4 में नोडल अधिकारी नियुक्त कर उसकी सूचना भी दिनांक 30.04.2025 तक निदेशालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।

इसके अतिरिक्त समस्त उपनिदेशक (क्षेत्रीय), राजस्थान संभाग स्तर पर निकायों के वृक्षारोपण कार्यों की प्रगति रिपोर्ट संबंधित जिला नोडल नगरीय निकाय से प्राप्त कर एवं संकलित कर निदेशालय को प्रतिमाह की 02 तारीख को प्रेषित करावें।

अतः उक्त टाईमलाईन अनुसार वृक्षारोपण एवं शहरी वन क्षेत्र स्थापित करने का कार्य संपादित करवाया जाना एवं विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशानुसार राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना "हरियालो राजस्थान" को सफल बनाने हेतु कार्यवाही सुनिश्चित करावें तथा वांछित सूचनाऐं निर्धारित समय में निदेशालय को उपलब्ध करावें।

संलग्नः-उपरोक्तानुसार।

(इन्द्रजीत सिंह)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक:एफ56(क)(21514)CE/DLB/MSRGY/2025/5506-5609 दिनांक: 17.04.2025

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. परियोजना निदेशक, आरयूआईडीपी, राजस्थान, जयपुर।
4. कार्यकारी निदेशक, रूडसिको, राजस्थान, जयपुर
5. संभागीय आयुक्त, समस्त राजस्थान।
6. जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक (MSRGY), समस्त, राजस्थान।
7. अतिरिक्त निदेशक, निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. वित्तीय सलाहकार, निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
10. आयुक्त एवं सदस्य सचिव, जिला नोडल नगरीय निकाय (MSRGY), राजस्थान।
11. स्टेट एम.आई.एस मैनेजर द्वारा पोर्टल पर अपलोड किये जाने बाबत्।
12. सुरक्षित पत्रावली।

(अरूण व्यास)
मुख्य अभियंता

"हरियालो राजस्थान"

(प्रपत्र–01)

Tree Plantation & Urban Forest Area Development work progress sheet Year 2024-25

क्र.स.	संभाग	ज़िला	नगरीय निकाय के नाम	नगरीय निकाय की श्रेणी	श्रेणी	क्या आपने डीएलबी द्वारा जारी वृक्षारोपण पत्र पढ़ा है (हाँ/नहीं) 1. आदेश संख्या. 8169-8450 दिनांक:- 19.06.2024 2. आदेश संख्या. 7528-7813 दिनांक:- 10.06.2024 3. आदेश संख्या. 7117-7391 दिनांक:- 29.05.2024 4. आदेश संख्या. 5629-6012 दिनांक:- 22.05.2024 5. आदेश संख्या. 10271-10545 दिनांक:- 12.07.2024 6. आदेश संख्या. 9815-10089 दिनांक:- 04.07.2024 7. आदेश संख्या. 9097-9371 दिनांक:- 03.07.2024 (आयुक्तों/अधिशासी अधिकारियों और प्रभारी अभियंता के लिए)
A	B	C	D	E	F	G

विभागीय आदेशानुसार क्रमांक: 7117-7391 दिनांक:- 29.05.2024 अनुसार पौधारोपण लक्ष्य (संख्या)	चिन्हित वृक्षारोपण स्थलों की संख्या	स्थानों का नाम	इस वर्षाऋतु में लगाए जाने वाले प्रस्तावित पौधों की कुल संख्या	पौधों की प्रजाति	काम शुरू होने से पहले साइट की तस्वीरें (प्रत्येक साइट के फोटोग्राफ की संख्या)
H	I	J	K	L	M

वन विभाग से आदेश क्रमांक F.21(2)2024-25/TOFiR/Dev./PCCF/Part_File दिनांक:- 24.05.2024 अनुसार दर पर प्राप्त पौधे (संख्या)	अन्य स्त्रोतों से प्राप्त पौधों की संख्या वन विभाग के आदेश क्रमांक अनुसार समान दर पर। F.21(2)2024-25/TOFiR/Dev./PCCF/Part_File दिनांक:- 24.05.2024 (संख्या में)	निकाय मद (लाख में)	अन्य योजनाएँ (लाख में)	MSRGY(केवल श्रमिक मद) (लाख में)	कुल अनुमानित लागत (लाख में)	प्रस्ताव अनुमोदन हेतु सक्षम प्राधिकारी को भेजा गया है (हां/नहीं।)
N	O	P	Q	R	S	T

"हरियालो राजस्थान"

क्या आपने वृक्षारोपण के लिए वन विभाग को पौधों की मांग भेजी है (हां/नहीं)	उन स्थानों की संख्या जहां कार्य प्रारंभ हुआ (संख्या में)	उन स्थानों के नाम जहां कार्य प्रारंभ हुआ	वृक्षारोपण हेतु खोदे हुए गड्ढो की संख्या	लगाए गए पौधों की संख्या	चल रहे काम की तस्वीर (प्रत्येक साइट के फोटोग्राफ की संख्या)	प्रस्ताव में लिया गया वार्षिक रखरखाव (हाँ/नहीं)	यदि हाँ तो प्रस्ताव में कितने वर्ष का वार्षिक रख-रखाव लिया गया है
U	V	W	X	Y	Z	AA	AB

विशेष विवरण	विभागीय आदेश क्रमांक 5629-5868 दिनांक:- 22.05.2024 द्वारा आवंटित शहरी वन क्षेत्र लक्ष्य (संख्या)	कुल आवंटित शहरी वन क्षेत्र (वर्गमीटर)	शहरी वन क्षेत्र हेतु चिन्हित भूमि/स्थान की संख्या	स्थानों का नाम	प्रत्येक स्थान का क्षेत्रफल वर्गमीटर में	काम शुरू होने से पहले साइट की तस्वीरें (प्रत्येक साइट के फोटोग्राफ की संख्या)
AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI

साइट स्थल (अक्षांश, देशांतर)	प्रत्येक शहरी वन क्षेत्र स्थल पर प्रस्तावित पौधों की संख्या	चिन्हित शहरी वन स्थलों का कुल क्षेत्र (वर्गमीटर में)	इस वर्षाऋतु में लगाए जाने वाले प्रस्तावित पौधों की कुल संख्या	पौधों की प्रजाति	वन विभाग से आदेश क्रमांक F.21(2)2024-25/TOFiR/Dev./PCCF/Part_File दिनांक:- 24.05.2024 अनुसार दर पर प्राप्त पौधे की संख्या	अन्य स्त्रोतों से प्राप्त पौधों की संख्या वन विभाग के आदेश क्रमांक अनुसार समान दर पर। F.21(2)2024-25/TOFiR/Dev./PCCF/Part_File दिनांक:- 24.05.2024 (संख्या में)
AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP

निकाय मद (लाख में)	अन्य योजनाएँ (लाख में)	MSRGY (केवल श्रमिक मद) (लाख में)	कुल अनुमानित लागत (लाख में)	प्रस्ताव अनुमोदन हेतु सक्षम प्राधिकारी को भेजा गया है (हां/नहीं।)	क्या आपने वृक्षारोपण के लिए वन विभाग को पौधों की मांग भेजी है (हां/नहीं)	उन स्थानों की संख्या जहां कार्य प्रारंभ हुआ (संख्या में)
AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW

''हरियालो राजस्थान''

उन स्थानों के नाम जहां कार्य प्रारंभ हुआ	कुल वृक्षारोपण के लिए तैयार की गई भूमि का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	लगाए गए पौधों की संख्या	चल रहे काम की तस्वीर (प्रत्येक साइट के फोटोग्राफ की संख्या)	प्रस्ताव में लिया गया वार्षिक रखरखाव (हाँ/नहीं)	यदि हाँ तो प्रस्ताव में कितने वर्ष का वार्षिक रख-रखाव लिया गया है	नगरीय निकाय को अपेक्षित पौधों की संख्या जिनकी मांग अब तक वन विभाग को भेज दी गई है (संख्या में)
AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD

एसटीपी/एफएसटीपी/लैंडफिल साइट/प्रोसेसिंग प्लांट ठेकेदार को उपलब्ध कराए गए पौधों की संख्या (संख्या में)	एसटीपी/एफएसटीपी/लैंडफिल साइट/प्रोसेसिंग प्लांट ठेकेदार द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या (संख्या में)	निजी व्यक्तियों/संस्थाओं/कंपनियों/विकास समितिओं आदि द्वारा अपने/स्वयं स्रोतों से लगाए गए पौधों की संख्या (संख्या में)	वृक्षारोपण के विरुद्ध जीवित रहने वाले पौधों की संख्या	सुरक्षा/ संधारण पौधों की संख्या	विशेष विवरण
BE	BF	BG	BH	BI	BJ

"हरियालो राजस्थान"

(प्रपत्र–02)

Tree Plantation & Urban Forest Area development work progress sheet Year 2024-25

क. सं.	संभाग	जिला	नगरीय निकाय का नाम	साईट का नाम व स्थान	जीपीएस कॉर्डिनेट्स	कुल लगाये गये पौधों की सं.	लगाये गये पौधों में से वर्तमान में जीवित पौधों की सं.

"हरियालो राजस्थान"

(प्रपत्र–03)

Tree Plantation & Urban forest Area development work progress sheet Year 2025-26

क्र.स.	संभाग	ज़िला	नगरीय निकाय के नाम	नगरीय निकाय की श्रेणी	श्रेणी	क्या आपने डीएलबी द्वारा जारी वृक्षारोपण पत्र पढ़ा है (हाँ/नहीं) आदेश संख्या. 17312-584 दिनांक:- 17.10.2024 (आयुक्तों/अधिशासी अधिकारियों और प्रभारी अभियंता के लिए)
A	B	C	D	E	F	G

विभागीय आदेशानुसार क्रमांक S136-5976 दिनांक:- 17/04/2025 ---- अनुसार पौधारोपण लक्ष्य (संख्या)	चिन्हित वृक्षारोपण स्थलों की संख्या	स्थानों का नाम	पौधों की प्रजाति	काम शुरू होने से पहले साइट की तस्वीरें (प्रत्येक साइट के फोटोग्राफ की संख्या)
H	I	J	K	L

वन विभाग से आदेश क्रमांक F.21(2)2024-25/TOFiR/Dev./PCCF/Part_File क्रमांक 08061 दिनांक:- 02.01.2025 अनुसार दर पर प्राप्त पौधे (संख्या)	अन्य स्त्रोतों से प्राप्त पौधों की संख्या वन विभाग के आदेश क्रमांक अनुसार समान दर पर। F.21(2)2024-25/TOFiR/Dev./PCCF/Part_File क्रमांक 08061 दिनांक:- 02.01.2025 (संख्या में)	निकाय मद (लाख में)	अन्य योजनाएँ (लाख में)	MSRGY (केवल श्रमिक मद) (लाख में)	कुल अनुमानित लागत (लाख में)	प्रस्ताव अनुमोदन हेतु सक्षम प्राधिकारी को भेजा गया है (हां/नहीं।)
M	N	O	P	Q	R	S

"हरियालो राजस्थान"

क्या आपने वृक्षारोपण के लिए वन विभाग को पौधों की मांग भेजी है (हां/नहीं)	उन स्थानों की संख्या जहां कार्य प्रारंभ हुआ (संख्या में)	उन स्थानों के नाम जहां कार्य प्रारंभ हुआ	वृक्षारोपण हेतु खोदे हुए गड्ढो की संख्या	लगाए गए पौधों की संख्या	चल रहे काम की तस्वीर (प्रत्येक साइट के फोटोग्राफ की संख्या)	प्रस्ताव में लिया गया वार्षिक रखरखाव (हाँ/नहीं)	यदि हाँ तो प्रस्ताव में कितने वर्ष का वार्षिक रख-रखाव लिया गया है
T	U	V	W	X	Y	Z	AA

विशेष विवरण	विभागीय आदेश क्रमांक 5136-5478 दिनांक:- 17/04/2025 -------- द्वारा आवंटित शहरी वन क्षेत्र लक्ष्य (संख्या)	कुल आवंटित शहरी वन क्षेत्र (वर्गमीटर)	शहरी वन क्षेत्र हेतु चिन्हित भूमि/स्थान की संख्या	स्थानों का नाम	प्रत्येक स्थान का क्षेत्रफल वर्गमीटर में.	काम शुरू होने से पहले साइट की तस्वीरें (प्रत्येक साइट के फोटोग्राफ की संख्या)
AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH

साइट स्थल (अक्षांश,देशांतर)	प्रत्येक शहरी वन क्षेत्र स्थल पर प्रस्तावित पौधों की संख्या	चिन्हित शहरी वन स्थलों का कुल क्षेत्र (वर्गमीटर में)	इस वर्षाऋतु में लगाए जाने वाले प्रस्तावित पौधों की कुल संख्या	पौधों की प्रजाति	वन विभाग से आदेश क्रमांक 08061 दिनांक:- 02.01.2025 अनुसार दर पर प्राप्त पौधे की संख्या	अन्य स्त्रोतों से प्राप्त पौधों की संख्या वन विभाग के आदेश क्रमांक अनुसार समान दर पर। क्रमांक 08061 दिनांक:- 02.01.2025 (संख्या में)
AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO

"हरियालो राजस्थान"

निकाय मद (लाख में)	अन्य योजनाएँ (लाख में)	MSRGY (केवल श्रमिक मद) (लाख में)	कुल अनुमानित लागत (लाख में)	प्रस्ताव अनुमोदन हेतु सक्षम प्राधिकारी को भेजा गया है (हां/नहीं।)	क्या आपने वृक्षारोपण के लिए वन विभाग को पौधों की मांग भेजी है (हां/नहीं)	उन स्थानों की संख्या जहां कार्य प्रारंभ हुआ (संख्या में)
AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV

उन स्थानों के नाम जहां कार्य प्रारंभ हुआ	कुल वृक्षारोपण के लिए तैयार की गई भूमि का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	लगाए गए पौधों की संख्या	चल रहे काम की तस्वीर (प्रत्येक साइट के फोटोग्राफ की संख्या)	प्रस्ताव में लिया गया वार्षिक रखरखाव (हाँ/नहीं)	यदि हाँ तो प्रस्ताव में कितने वर्ष का वार्षिक रख-रखाव लिया गया है	नगरीय निकाय को अपेक्षित पौधों की संख्या जिनकी मांग अब तक वन विभाग को भेज दी गई है (संख्या में)
AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC

एसटीपी/एफएसटीपी/लैंडफिल साइट/प्रोसेसिंग प्लांट पर लगाए जाने वाले पौधों की संख्या (संख्या में)	विशेष विवरण
BD	BE

''हरियालो राजस्थान''

प्रपत्रः—4

हरियालो राजस्थान के कियान्वयन हेतु निकाय स्तर पर अधिकृत नोडल अधिकारीगण की सूचनाः—

क. सं.	निकाय का नाम	नाम अधिकारी	पद	मोबाईल नं.	ई—मेल आईडी

हरियालो राजस्थान के कियान्वयन हेतु जिला नोडल नगरीय निकाय स्तर अधिकृत नोडल अधिकारीगण की सूचनाः—

क. सं.	जिला नोडल नगरीय निकाय का नाम	नाम अधिकारी	पद	मोबाईल नं.	ई—मेल आईडी

राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांक 10 (18)वन / 2024 / राजकाज 08061 जयपुर, दिनांक 02 JAN 2025

परिपत्र

माननीय मुख्यमंत्री बजट भाषण की घोषणा बिन्दू संख्या 45(1)अनुसार *Multi Sectoral Programme*के रूप में मिशन "हरियालो राजस्थान" को साकार करने की घोषणा कर प्रदेश में प्रतिवर्ष 10 करोड़ पौध वितरित कर लगाये जाने का लक्ष्य रखा गया है। राजस्थान को हरित प्रदेश के रूप में विकसित करने, प्रदेश में कृषि-वानिकी को विकसित करने,ग्लोबल वार्मिंग को कम करनेतथा भारत वर्ष में 2070 तक कार्बन तटस्थता तक पहुचांने में राजस्थान प्रदेश की अग्रिम भुमिका निभाते हुऐ सतत विकास की ओर अग्रिणी राज्य के रूप में स्थापित करने हेतु मिशन "हरियालो राजस्थान"को क्रियान्वित करते हेतु आवश्यक दिशा निर्देश प्रसारित किए जाते है:-

(1)मिशन हरियालो राजस्थान हेतु सगठनात्मक संरचना

योजना को क्रियान्वित करने,सतत निगरनी करने एवं समस्त लक्ष्यों एवं उद्धदेश्यों की सफल प्राप्ति हेतु तीन स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया जायेगा:-

क्र. स.	टास्क फोर्स	अध्यक्ष	सदस्य सचिव
1	राज्य स्तरीय टास्क फोर्स	मुख्य सचिव	अतिरिक्त मुख्य सचिव वन, **पर्यावरण**एवं **जलवायु**परिर्वतन विभाग / प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ)
2	जिला स्तरीय टास्क फोर्स	जिला कलक्टर	उप वन संरक्षक (प्रादेशिक)
3	उपखण्ड स्तरीय टास्क फोर्स	उपखण्ड अधिकारी	संबधित क्षेत्रीय वन अधिकारी (प्रादेशिक)

उक्त तीनों टास्क फोर्स में ग्रामीण विकास एवंपंचायती राज विभाग,कृषि एवं उद्यानिकी विभाग,उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, युवा मामले एवं खेल विभाग,जल संसाधन विभाग, जनजातीय स्तरीय विकास विभाग,नगरीय विकास, स्वायत शासन विभाग,सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के मनोनित सक्षम अधिकारी,सदस्य होगे एवं संबधित अध्यक्ष द्वारा मनोनित जन प्रतिनिधियों,गैर सरकारी संस्थानों के प्रतिनिधि एवं अन्य आमंत्रित विशेषज्ञ भी सदस्य होंगे।

(2)10 करोड़ पोधौ के लक्ष्य का विभागवार एवं क्षेत्रवार आवंटन

- योजना अन्तर्गत 3 करोड़ पौधे गोचर, ओरण तथा चारागाह,3 करोड़ पौधे विभिन्न शहरी क्षेत्रो में तथा **2 करोड पौधे संस्थागत एवं निजी भूमिपर तथा 2 करोड़ पौधे वन भूमि पर** लगाने हेतु उपलब्ध कराये जायेगे। साथ ही उक्तानुसार विभिन्न विभागों को उक्त क्रम में पौधरोपण के लक्ष्य निर्धारण राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा किया जायेगा। यह प्रक्रिया वृक्षारोपण वर्ष से पूर्व वर्ष में अक्टूबर माह तक पूरी कर ली जाएगी। प्रत्येक आंवटित पौधे के लक्ष्य के विरूद्व पौधा प्राप्त करने से लेकर, उसे रोपित कर समुचित रखरखाव करते हुये, विकसित होने तक की समस्त जिम्मेदारी संबंधित विभाग / संस्था की रहेगी।

(3)वृक्षारोपण हेतु सूक्ष्म नियोजन एवं योजना का अनुमोदन

- योजना का उद्देश्य प्रदेश में वृक्षावरण एवं वृक्षो के घनत्व को विस्तारित करना, राज्य में किसानों की आय में वृद्धि करते हुए कृषि प्रणालियों के लचीलेपन को मजबूत करने के लिए कृषि वानिकी का उपयोग करना,रोजगार सृजन एवं आय में वृद्धि करना,वृक्ष आधारित उद्यमों में बढोत्तरी एवं कार्बन क्रेडिट की बिक्री कोबढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करना एवं पारिस्थितिकीय तंत्र सेवाओं का सृजन,वैश्विक जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन लक्ष्यों का समर्थन करने के लिए राजस्थान में वृक्षारोपण को बढ़ाना है।
- उक्त क्रम में समस्त विभागो द्वारा गंभीरता पूर्वक निरीक्षण करते हुए अपने आंवटित लक्ष्य अनुसार अपने क्षेत्राअधिकार अधीन उपयुक्त वृक्षारोपण स्थलो का सटीक चयन किया जायेगा। साथ हीविभाग के एक स्थाई कर्मचारी को प्रत्येक चयनित कार्यस्थल हेतु वृक्षस्थलप्रभारी नियुक्त किया जाएगा।
- कार्य स्थल का चयन करते वक्त पौधे की सुरक्षा हेतु फेंसिग/सुरक्षा दीवार/बाड़–बंदी की प्रभावी व्यवस्था होना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही वृक्षारोपण स्थल पर लगाये गये पौधो के निरन्तर संधारण, निगरानी, पानी पिलाने इत्यादि की समूचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाकर चयनित कार्य स्थल को संबंधित वृक्षस्थल प्रभारी अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जायेगा।
- संबंधित उपखण्ड स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा स्थानीय मांग, संस्कृति एवं परम्पराओं, भौगोलिक एवं जलवायु परिस्थितियों के मध्य नजर विभागवार आंवटित लक्ष्य के अनुसारउपयुक्त पौधों की प्रजातियों कानिर्धारण किया जायेगा। प्रजातियो के चयन में एक जिला एक प्रजाति मुहिम के तहत जिले के पंच गौरव के अन्तर्गत चयनित प्रजाति को विशेष महत्व दिया जायेगा।
- उपरोक्त समस्त बिन्दुओं का समावेशकरते हुयेप्रत्येक संबधित उपखण्ड स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा समस्त तकनिकी, वित्तीय आवश्यकताओं एवं उपलब्ध संसाधनो का आंकलन कर एक वार्षिक सूक्ष्म नियोजन योजना बनायी जायेगी, जिसका अनुमोदन जिला स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा वृक्षारोपण वर्ष से पूर्व दिसंबर माह तक अवश्य कर लिया जायेगा।

(4)पौध रोपण हेतु पौधो की उपलब्धता

- प्रत्येकउपखण्ड स्तरीय टास्क फोर्स उसकी अनुमोदित सूक्ष्म नियोजन योजना अनुसार प्रजातिवार आवश्यक पौधो की संख्या की मांग, संबधित जिला स्तरीय टास्क फोर्स के समक्ष अविलम्ब प्रस्तुत करेगी।
- संबधित जिला स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा जिले में वितरण हेतु राजकीय विभागो की नर्सरियों में उपलब्ध पौधों को प्राथमिकता देते हुये विभागवार वितरण हेतु आंवटित लक्ष्य के विरूद्व आरक्षित कर दिया जायेगा। राजकीय विभागो की नर्सरियों में उपलब्ध पौधो की दरें अनुमोदित की जाकर निम्नानुसार तय की जाती है:–

क्र. स.	विवरण	प्रस्तावित दर प्रति पौधा (रूपयें में)
1	कांटेदार प्रजाति के पौधे	5.00
2	छायादार एवं चौडी पत्ती वाले पौधे	
	एक वर्ष तक के पौधे:– 2 फीट की उँचाई तक के पौधे 2 फीट सेउपर एवं 3 फीट की उँचाई तक के पौधे	 6.00 10.00

	एक वर्ष से दो वर्ष तक के पौधेः– 3 फीट से उपर एवं 5 फीट की उचाई तक के पौधे (बडी थैलियो में) 5 फीट से उपर एवं 8 फीट की उचाई तक के पौधे(बडी थैलियो में)	15.00 25.00
	दो वर्ष से अधिक के पौधेः– 8 फीट से उपर एवं 10 फीट की उचाई तक के पौधे बडी थैलियो में) 10 फीट से उपर उचाई तक के पौधे	50.00 75.00

- **राजकीय भूमि/सार्वजनिक भूमि/संस्थागत भूमि पर वृक्षारोपण करने के लिए इच्छुक राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के विभागों/राजकीय उपकम को 50 प्रतिशत रियायती दर पर उपलब्ध कराये जायेंगे।**
- राजकीय विभागो की नर्सरियों में लक्ष्य अनुसार अनुमोदित प्रजातियों के पौधे उपलब्ध ना होने की स्थिति में जिला स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा उक्त अनुमोदित दरों की सीमा तक संबधित प्रजातियों के पौधे विभिन्न वृक्षारोपण कार्य स्थलों तक वृक्षारोपण वर्ष की निर्धारित तारीख तक संबंधित विभाग को उपलब्ध कराने हेतु खुली निविदाआमंत्रित की जायेगी एंव न्यूनतम दर पर पौधे उपलब्ध कराने वालो निविदाकर्ता को सफल घोषित किया जाकर सर्शत कार्य आदेश जारी किया जावेगा।निविदा मुल्यांकन करते समय राजस्थान राजकोष में देय करों को छोड़कर अन्य समस्त करों को सम्मलित किया जाएगा एवं नियमानुसार राजस्थान की लघू उद्योग इकाईयो (MSME) को प्राथमिकता दी जाएगी।

  राजकीय विभागों की नर्सरियों में लक्ष्यानुसार अनुमोदित प्रजातियों के पौधे उपलब्ध ना होने की स्थिति में जिला स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा उक्त अनुमोदित दरों की सीमा तक संबंधित प्रजातियों के पौधे विभिन्न वृक्षारोपण कार्य स्थलों तक संबंधित वृक्षारोपण वर्ष की निर्धारित तारीख तक संबंधित विभाग को उपलब्ध कराने हेतु राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 तथा नियम 2013 में विहित प्रावधानानुसार/नियमानुसार उपापन प्रकिया अपनाई जाकर पौधे उपलब्ध कराने वाले निविदाकर्ता को सफल घोषित किया जाकर नियमानुसार आदेश जारी किया जावेगा।
- उक्त दोनो प्रक्रिया क्रमशःअपनाने के बाद भी यदि किसी चयनित प्रजाति के पौधे निर्धारित दरो की सीमा तक उपलब्ध नही हो पाते तो दरो की सीमा में शिथिलता के प्रस्ताव जिला स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा राज्य स्तरीय टास्क फोर्स को अनुमोदनार्थ भेजे जायेगे। अनुमोदन पश्चात उक्त पौधो का क्रय राज्य स्तर पर राजस्थान राज्य वन विकास निगम लिमिटेड **जिला स्तरीय टास्क फोर्स** द्वारा किया जाकर संबधित वृक्षारोपण स्थल पर निर्धारित समय पर संबधित विभाग को उपलब्ध कराये जायेगे।
- जिला स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा की आंवटित लक्ष्यों के विरूद्व पौधो की उपलब्धता सुनिश्चित की जाकर सशर्त कार्यआदेश जारी करते हुये वृक्षारोपण हेतु सभी आवश्यक पौधे वृक्षारोपण वर्ष के जनवरी माह तक आरक्षित कर लिये जाये। उक्तानुसार सभी आपूर्तिकर्ता जारी सशर्तकार्यआदेश के अनुसार पौधों को गुणवत्ता पूर्वक उपयुक्त उंचाई तक विकसित कर पौधरोपण हेतु निश्चित तारीख तक संबंधित वृक्षारोपण स्थल पर संबंधित विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें, जिसका भुगतान संबधित विभाग द्वारा सफल वृक्षारोपण पश्चात विस्तारित वित्तीय स्वीकृति के आधार पर आगामी वित्तीय वर्ष में आपूर्तिकर्ता को किया जायेगा। वृक्षारोपण स्थल पर पहुंचाने के बाद भी सफल वृक्षारोपण पूर्ण होने तक पौधों के संधारण की जिम्मेदारी संबंधित सफल निविदाकर्ता की होगी।

(5)<u>मौका स्थल पर वृक्षारोपण पूर्व की तैयारियाँ</u>

- समस्त संबधित विभाग अपने आंवटित लक्ष्य अनुसार चयनित मौका स्थल पर वृक्षारोपण से पूर्व की समस्त तैयारियाँ संबधित वृक्षारोपण वर्ष के मई माह तक किया जाना सुनिश्चित करेगें।इसकी पालना प्रत्येक उपखण्ड टास्क फोर्स द्वारा की जाएगी।
- प्रत्येक उपखण्ड स्तर पर संबधित उपखण्ड स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा समय–समय विभिन्न स्थलों पर व्यापक तौर पर समस्त विभागों एवं जन साधारण हेतु तकनिकी कार्यशालाऐं आयोजित की जायेगी एवं खोदे गये गढे,मिटटी के उपचार आदि समस्त कार्यो की समस्त निगरानी की जाकर समस्त चयनित स्थलों को सरकार द्वारा निर्देशित हरियालो राजस्थान मोबाईल ऐपेलीकेशन (APP) पर भी अपलोड किया जायेगा। समस्त संबंधित वृक्षस्थल प्रभारी मनोनित वनमित्रों की सहायता से पालना सुनिश्चित करेगे।
- प्रत्येक जिला स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा यह सुनिश्चित किया जयेगा की समस्त वृक्षारोपण स्थलो पर वृक्षारोपण से पूर्व की समस्त तैयारियाँ पूरी कर ली गई है एवं समस्त वृक्षारोपण स्थलो पर पौधो की उपलब्धता का सत्यापन उपखण्ड स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा कर लिया है।
- समस्त विभागो द्वारा आंवटित लक्ष्य के विरूद्व वृक्षारोपण हेतु पर्याप्त कर्मचारियों, स्वयसेवको, एवं जन साधारण, की भागीदारी सुनिश्चित करते हुये चिहिनत करने की कार्यवाही उपखण्ड स्तरीय टास्क फोर्स के साथ वृक्षारोपण वर्ष के मई माह में ही पूरी कर ली जायेगी।

(6) <u>नियत अवधि में वृक्षारोपण कार्य</u>

- राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा तात्कालीन मौसम,मानसून के आगमन एवं राजस्थानी संस्कृति एवं परंम्पराओं के मध्य नजर वृक्षारोपण प्रारम्भ करने की तिथि हर वर्ष घोषित की जाएगी जिसे प्रदेश भर में *'हरियालो राजस्थान महोत्सव'* के रूप में व्यापक तौर पर मनाया जायेगा।
- प्रत्येकउपखण्ड स्तरीय टास्क फोर्स यह सुनिश्चित करगी प्रत्येक वृक्षारोपण स्थल पर अधिक से अधिक जन भागीदारी के सहयोग से सम्पूर्ण वृक्षारोपण लक्ष्यों को सही तकनिकी रूप से निश्चित अवधि में पूरा कर लिया जावें।इसमें वृक्षस्थल प्रभारियो एवं वनमित्रों की मुख्य जिम्मेदारी रहेगी।
- वृक्षारोपण स्थल पर प्रत्येक पौधे के साथ प्रत्येक व्यक्ति को एक विशिष्ट बार कोड/क्यू आर कोड रक्षा सूत्र के साथ उपलब्ध करया जायेगा। सफल वृक्षारोपण के पश्चात प्रत्येक व्यक्ति लगाने गये पौधे के इर्द गिर्द *"हरियालो राजस्थान"* प्रतिज्ञा लेते हुये क्यूआर कोड लगा हुआ रक्षा सूत्र बाधेंगा।
- प्रत्येक लगाये गये पौधे की मैपिंग उस पर लगे क्यूआर कोड से हरियालो राजस्थान ऐप पर उसी समय की जायेगी जिसमें प्रत्येक पौधे की प्रजाति, फोटो, जीपीएस निर्देशांक, रोपित करने वाले व्यक्ति का नामएवं सेल्फी फोटो अपलोड कर दी जायेगी। प्रत्येक वृक्षारोपण स्थल प्रभारी यह सुनिश्चित करेगे की उनके अधीन लक्ष्य अनुसार समस्त पौधे क्यूआर कोड सहित सफलतापूर्वक रोपित कर दिये गये है एवं सभी मैपिंग हरियालो राजस्थान ऐप पर कर दी गई है।

(7)<u>समापन कार्यक्रमएवं लाईव पोर्टल</u>

- प्रत्येकउपखण्ड स्तरीय टास्क फोर्स सितंबर माह के अन्त तक अपनी वृक्षारोपण रिपोर्ट जिला स्तरीय टास्क फोर्स के समक्ष प्रस्तुत करेगी। वृक्षारोपण रिपोर्ट में समस्त वृक्षारोपण स्थलों का विस्तृत विवरण, लगायें गये समस्त पौधो की विशिष्ट क्यूआर कोड सही विस्तृत सूची एवं कार्यक्रम के अन्य अहम बिन्दू सम्मलित होगे।

- जिला स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा निर्धारित तिथि को समस्त रोपित पौधो को ऑन लाईन पार्टल पर राजस्थान के जीवन्त मानचित्र पर सार्वजनिक तौर पर प्रदर्शित किया जायेगा। सभी व्यक्ति संबधित क्यूआर कोड के माध्यम से लगाये गये पौधे की सटीक प्रजाति फोटो एवं निर्देशांक किसी भी स्थाान से निरन्तर देख सकेंगें।
- समापन कार्यक्रम में उत्कृष्ट विभिन्न स्तरो पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले विभागो,संस्थाओ,व्यक्तियों को संबधित टास्क फोर्स द्वारा *हरियालो राजस्थान पुरस्कार* से सम्मानित किया जायेगा।

(8)<u>रोपित पौधो सततनिगरानी एवं संधारण</u>

- प्रत्येक विभाग के वृक्षारोपण प्रभारी वनमित्रों की सहायता से यह सुनिश्चित करेगे कि उनको आंवटित लक्ष्य के विरूद्ध लगाये गये हर पौधे की सतत निगरानी, खयाल, रखरखाव, निरन्तर जन भागीदारी, गैर सरकारी सस्थानो, एवंस्वयंसेवकों की सहायता से निरन्तर की जाती रहें।**न्यूनतम तीन वर्षो तक वृक्षारोपणें का संधारण महानरेगा/विभागीय योजना में किया जाना सुनिश्चित करेगे।**
- प्रत्येक4 माह में हर पौधे की कुशलक्षेम एवं विकास की फोटो संबंधित वृक्षारोपण प्रभारी के द्वारा हरियालो राजस्थान ऐपपर निरन्तर अपलोड की जायेगी।
- जिला स्तरीय टास्क फोर्स भी जिले में लगायेगयेपौधो के संधारण हेतु विभिन्न विभागीय चालू प्रयोजनाओ, जन भागीदारी एवं नियमित सामजिक उत्तदायित्व (CSR)के माध्यम से करना सुनिश्चित करेंगे।

आज्ञा से,

(अपर्णा अरोरा)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. वरिष्ठ निजी सचिव, माननीय राज्य वन मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर...।
6. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ), राजस्थान, जयपुर।
7. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर।
8. समस्त मुख्य वन संरक्षक मार्फत प्रमुवस कार्यालय।
9. समस्त जिला कलेक्टर।
10. समस्त उप वन संरक्षक /उप वन संरक्षक (वन्यजीव), राजस्थान मार्फत प्रमुवस कार्यालय
11. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त मुख्य सचिव

RajKaj Ref No.: 12794018